

तारीख
हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15.12.23

मूल काद में लरीत सुनवाई का अर्चना पत्र
पेश करने पर पत्रावली तलब की जाकर
पेश हुई।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।


प्राची अधिवक्ता 4 उपस्थित।

प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राचीण की ओर से
उक्त आवेदन को जरिफे विद्दे खारिज करने
का अर्चना पत्र पेश किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपनी अपनी
बहस में बताया गया कि उक्त आवेदन
व मूल काद के संबंध में पत्रावली
के अक्षर राजीनामा ले जाने तथा आगे
की कार्यवाही नहीं चाहने पर पूर्व में
दिनांक 11.07.2022 को स्पष्ट आदेश
को असाह्य किया जाकर पत्रावली को
जरिफे विद्दे खारिज किया जाके।

चूंकि उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन
को खारिज करने का निवेदन किया गया
है। अतः प्राची अधिवक्ता द्वारा उक्त अर्चना
पत्र जरिफे विद्दे का स्वीकार किया जाकर
पत्रावली को इसी स्टेज पर जरिफे विद्दे
खारिज किया जाता है तथा पूर्व में
जाही असाह्य निषेधाज्ञा को भी समाप्त
किया जाता है।

पत्रावली दायित्व दफ्तर को


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

विशेष न्यायाधीश

जिला न्यायालय

जिला न्यायालय

जिला न्यायालय